प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. **जिलाः A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष **2022**

प्र.ई.रि.सं. 390/2022 दिनांक 29/09/2022

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा **7,**

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा........

(3) अधिनियम.............................. धारायें..........................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 566 समय 06:45 PM

(ब) अपराध के घटने का दिनः बुधवार दिनांक 28/09/2022, समय 04.30 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – मंगलवार दिनांक 27/09/2022, समय 11.30 ए.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः उत्तर दूरी करीब 90 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर से

(ब) पताः– खाना–खजाना रेस्टोरेन्ट के सामने बस स्टेण्ड शाहजहांपुर , जिला अलवर

बीट संख्या .... जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री भीमसिंह (ब) पिता का नाम :– श्री मोहर सिंह यादव

(स) जन्म तिथि :– उम्र 35 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः– मुर्गीफार्म

(ल)पताः– **निवासी सक्तपुरा बावद, तहसील मुण्डावर, पुलिस थाना शाहजहाँपुर, जिला अलवर**

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री अमर दीप पुत्र श्री शमशेर सिंह, जाति अहीर, उम्र 26 साल, निवासी– खौरी, भुनगडा अहीर, तहसील – मुण्डावर, पुलिस थाना – शाहजहाँपुर, जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक – तृतीय, फीडर सक्तपुरा, GSS माणका, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला–अलवर

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– 25,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 27–09–2022 को समय 11.30 ए.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर मन् पुलिस निरीक्षक, प्रेम चन्द के सम्मुख उपस्थित होकर परिवादी श्री भीम सिंह यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव, जाति अहीर, उम्र 35 साल, निवासी सक्तपुरा बावद, तहसील मुण्डावर, पुलिस थाना शाहजहाँपुर, जिला अलवर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, क्षीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. अलवर। विषयः– रिश्वत खोर लाईन मैन को रंगे हाथों पकडवाने के सम्बन्ध में। महोदय, निवेदन है कि मे भीम सिंह o/s क्षी मोहरसिंह यादव निवासी सकतपुरा बावद तहं मुण्डावर जिला अलवर का रहने वाला हूँ। हमारे गॉव में मेरे घर पर मेरे पिताजी क्षी मोहर सिंह के नाम से घरेलू कनेक्शन लगा था जिसके खाता सख्या 16060087 एवं नम्बर 210118002143 है। कार्यालय से जारी होने वाले विधुत बिल का भुगतान नियमित किया जा रहा है। मैं गॉव में ही हमारे मकान से कुछ दूरी पर हमारे खेत में मुर्गीफार्म खोल रखा हूँ तथा वहा पर लेबर को रहने के लिये कमरे भी बना रखा हूँ, जिनमें मुर्गीफार्म की लेबर रहती है। मैंने हमारे लाईनमैंन क्षी अमरदीप से मुर्गीफार्म के लेबर रूम पर बिजली का कनेक्शन करवाने के लिये कहा तो लाईनमैंन अमरदीप ने मेरे से कहा कि मुर्गीफार्म पर घरेलू कनेक्शन नही होता है, कॉमर्शियल कनेक्शन होगा, जिसकी बिल भी घरेलू कनेक्शन से ज्यादा आता है। इसलिए मैं आपके घर के कनेक्शन को मुर्गीफार्म के कमरों में लगा देता हूँ, आपके घर पर दुसरा नया कनेक्शन करवा दूंगा। मार्च 2022 में लाईनमैंन अमरदीप ने बिजली ग्रेड से केबल लाकर डीपी से मेरे मुर्गीफार्म पर नई लाईन खिंचकर हमारे घर के उक्त मीटर को घर से उतार कर मुर्गीफार्म पर लेबर के कमरों में लगा दिया और मेरे से घर पर नया कनेक्शन के लिये मेरे नाम से फाईल तैयार करवाकर बिजली ग्रेड सोडावास में जमा करवा दी, जिसका मैंने दिनांक 04.04.2022 को 3007 रू0 का डिमाण्ड नोटिस जमा करवा दिया। इसके बाद हमारा लाईनमैंन अमरदीप मेरे मुर्गीफार्म पर आया और मेरे से कहने लगा कि आप घरेलू कनेक्शन को मुर्गीफार्म पर काम ले रहे हो इसलिए मुझे आप 5000 रू0 महिने के हिसाब से मंथली दो नही तो मैं आपकी बिजली विभाग के अधिकारियों से वी0सी0आर0 भरवा दूंगा और वह आये दिन मुझे वी0सी0आर0 भरवाने की धमकी दे रहा है और 5000 रू0 महिने मंथली के हिसाब से आगामी

6 महिनों की मंथली के 30000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मै क्षी अमरदीप लाईनमैन बिजली विभाग सोडावास को रिश्वत नही देना चाहता हूं। दिनांक 27.9.2022 हस्ताक्षर प्राथी भीमसिंह यादव भीमसिंह यादा S/O मोहर सिंह यादव जाति अहीर उम्र 35 साल निवासी सक्तपुरा (बावद) तह. मुण्डावर जिला अलवर मो नं. 6350600337 " उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र परिवादी श्री भीम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री भीम सिंह यादव ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि हमारे गॉव में मेरे घर पर मेरे पिताजी श्री मोहर सिंह के नाम से घरेलू कनेक्शन लगा हुआ था, जिसके खाता संख्या 16060087 एवं के नम्बर 210184002143 है। हमारे उक्त कनेक्शन का सहायक अभियन्ता (पवस), जयपुर डिस्कॉम सोडावास के कार्यालय से जारी होने वाले विधुत बिल का भुगतान नियमित किया जा रहा है। मैं गॉव में ही हमारे मकान से कुछ दूरी पर हमारे खेत में मुर्गीफार्म खोल रखा हूँ तथा वहा पर लेबर को रहने के लिये कमरे भी बना रखा हूँ, जिनमें मुर्गीफार्म की लेबर रहती है। मैंने हमारे लाईनमैंन श्री अमरदीप से मुर्गीफार्म के लेबर रूम पर बिजली का कनेक्शन करवाने के लिये कहा तो लाईनमैंन अमरदीप ने मेरे से कहा कि मुर्गीफार्म पर घरेलू कनेक्शन नही होता है, कॉमर्शियल कनेक्शन होगा, जिसकी बिल भी घरेलू कनेक्शन से ज्यादा आता है। इसलिए मैं आपके घर के कनेक्शन को मुर्गीफार्म के कमरों में लगा देता हूँ और आपके घर पर दुसरा नया कनेक्शन करवा दूंगा। मार्च 2022 में लाईनमैंन अमरदीप ने बिजली ग्रेड से केबल लाकर डीपी से मेरे मुर्गीफार्म पर नई लाईन खिंचकर हमारे घर के उक्त मीटर को घर से उतार कर मुर्गीफार्म पर लेबर के कमरों में लगा दिया और मेरे से घर पर नया कनेक्शन के लिये मेरे नाम से फाईल तैयार करवाकर बिजली ग्रेड सोडावास में जमा करवा दी, जिसका मैंने दिनांक 04.04.2022 को 3007 रू0 का डिमाण्ड नोटिस जमा करवा दिया। इसके बाद हमारा लाईनमैंन अमरदीप मेरे मुर्गीफार्म पर आया और मेरे से कहने लगा कि आप घरेलू कनेक्शन को मुर्गीफार्म पर काम ले रहे हो इसलिए मुझे आप 5000 रू0 महिने के हिसाब से मंथली दो नही तो मैं आपकी बिजली विभाग के अधिकारियों से वी0सी0आर0 भरवा दूंगा और वह आये दिन मुझे वी0सी0आर0 भरवाने की धमकी दे रहा है और 5000 रू0 महिने मंथली के हिसाब से आगामी 6 महिनों की मंथली के 30000 रू0 रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री अमरदीप, लाईनमैंन, बिजली विभाग सोडावास को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने श्री अमरदीप, लाईनमैंन, जयपुर डिस्कॉम, सोडावास से कोई उधार लेन-देन बकाया नही होना और ना ही कोई रंजिश होना बताया। परिवादी श्री भीम सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की एवं अपने उक्त बिजली कनेक्शन के माह सितम्बर 2022 के बिल की एवं अपने नये कनेक्शन के जमा करवाये गये डिमाण्ड नोटिस की रसीद की छायाप्रतियों पर स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिनको संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया जाता है। इस पर परिवादी श्री भीमसिंह को दिनांक 27.09.2022 को ही समय 12.30 पी.एम. पर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** लगाकर उसके संचालन के बारे मे समझाकर परिवादी श्री भीम सिंह यादव को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया जाकर उसे श्री महेश कुमार कानि. 462 के हमराह संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप लाईनमैन के पास भिजवाकर रिश्वत की मॉग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। समय 9.00 पी.एम. पर बाद रिश्वत मॉग सत्यापन परिवादी के हमराह गये कानि.श्री महेश कुमार द्वारा लाकर प्रस्तुत किये गये विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर सूना गया तो उसमे रिश्वत मॉग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्तालाप से संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी भीम सिंह यादव से उसके मुर्गीफार्म पर लगे विधुत कनेक्शन की अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वीसीआर नही भरवाने एवं बिल को सही करवाकर बिल की आधी राशि जमा करवाने के सम्बन्ध में वार्ताऐं करना तथा मार्च 2023 तक किसी प्रकार की कोई चैकिंग कार्यवाही नही करवाकर वीसीआर नही भरवाने की एवज में परिवादी से 25 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना एवं उक्त के अतिरिक्त 6500 रू0 बिल जमा करवाने के लिये अलग से देने के लिये परिवादी को कहना सत्यापित हुआ। परिवादी रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के कारण कार्यालय मे उपस्थित नही आया। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट व सीडी तैयार करने की कार्यवाही परिवादी के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में पृथक से की जावेगी। उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित हालात में कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया।

दिनांक 28.09.2022 को ब्यूरो चौकी अलवर द्वितीय अलवर से इमदाद हेतु कानि. श्री रामजीत कानि0 206 एवं श्री महेश कुमार चालाक मय वाहन सरकारी के ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर में उपस्थित आये तथा समय 10.15 ए.एम. पर तलबशुदा कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर), अलवर से तलब शुदा गवाह श्री सुभाष शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मानव कुमार, कनिष्ठ सहायक, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये, जिनसे मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आपसी परिचय कर उन्हे कार्यालय में ही बैठाया गया। समय 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री भीम सिंह यादव मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष

ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होकर श्री महेश कुमार कानि0 462 की मौजूदगी में मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 27.09.2022 को मैं व श्री महेश कुमार कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय करीब 03.20 पीएम पर गॉव सक्तपुरा बावद में स्थित मेरे मकान पर पहुंचे, जहॉ पर समय करीब 03.25 पी0एम0 पर श्री अमरदीप, लाईनमैंन, बिजली विभाग सोडावास के मोबाईल नं0 6377165897 से मेरे मोबाईल नं0 6350600337 पर फोन आया, जिसको रिसीव करने से पहले मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताया, जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर मेरी वार्ता करवाई गई, तो श्री अमरदीप लाईनमैंन ने मेरे को सक्तपुरा बावद स्थित सरकारी स्कूल के पास बुलाया। उक्त मोबाईल वार्ता को श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा ए0सी0बी0 के विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। इसके बाद श्री महेश कुमार कानि0 ने ए0सी0बी0 का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपुर्द कर मेरे को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री अमरदीप, लाईनमैंन, बिजली विभाग, सोडावास के पास सक्तपुरा बावद में मेरे मकान से कुछ दुरी पर ही स्थित सरकारी स्कूल के पास मेरी स्कूटी से भिजवाया, जिस पर मैं अपनी स्कूटी से सक्तपुरा बावद स्थित सरकारी स्कूल के पास पहुंचा और मेरे पीछे-पीछे श्री महेश कुमार कानि0 भी उक्त स्कूल के पास मेरे से कुछ दूरी पर आ गया था। मुझे वहॉ पर लाईनमैंन अमरदीप पूर्व से ही अपनी मोटरसाईकिल के साथ खडा मिला, जिससे मैंने हमारे बिजली कनेक्शन की अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वी0सी0आर0 नही भरवाने एवं घर का नया कनेक्शन करवाने एवं माह सितम्बर 2022 के गलत जारी किये गये विधुत बिल को सही करवाने के लिये वार्ता की तो श्री अमरदीप लाईनमैंन द्वारा मेरे पिताजी मोहर सिंह के नाम के घरेलू कनेक्शन को हमारे मकान से मेरे मुर्गीफार्म पर सिफ्ट किया गया था, की बिजली विभाग के अधिकारियों से अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वी0सी0आर0 नही भरवाने की एवज में मेरे से सितम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक 6 महिनों की एकजाई मंथली 24 हजार रू0 रिश्वत की मांग की, जिस पर मैंने लाईनमैंन अमरदीप से कहा कि मार्च का महिना तो सबसे कठीन होता है और इसी महिने में बिजली की चैकिंग अधिक होती है तथा मार्च में ही सबसे ज्यादा डर रहता है, इसलिए आप मुझे मार्च 2023 तक के फाईनल पैसे बता दो, जिस पर लाईनमैंन अमरदीप ने मेरे से सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक हमारे उक्त कनेक्शन की चैकिंग नही करवाने की एवंज में 25000 रू0 रिश्वत की मांग की और हमारे उक्त कनेक्शन का गलत जारी किये गये बिल की राशि 13005 रू0 को सही करवाकर उक्त बिल की आधी राशि 6500 रू0 बिल जमा करवाने के लिये अलग से देने के लिये कहा और हमारे घर का नया कनेक्शन भी जल्दी करवाने के लिये कहा तथा मार्च 2023 तक किसी प्रकार की कोई चैंकिंग की टेन्शन नही करने के लिये कहा। मेरे व श्री अमरदीप लाईनमैंन से मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। मैं समय करीब 20 मिनट बाद श्री महेश कुमार कानि0 के पास आकर डिजिटल वाईस रिकार्डर बन्द करके श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था और मैं व श्री महेश कुमार कानि0 उक्त स्कूल के पास से मेरी स्कूटी से रवाना होकर मेरे घर पर आ गये। इसी दौरान समय करीब 03.49 पी0एम0 पर श्री अमरदीप लाईनमैंन के मोबाईल नं0 6377165897 से मेरे मोबाईल नं0 6350600337 पर फोन आया, जिसको रिसीव करने से पहले मैंने श्री महेश कुमार कानि0 को बताया, जिस पर श्री महेश कुमार कानि0 ने मेरे मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर मेरी वार्ता करवाई एवं मेरे व श्री अमरदीप लाईनमैंन के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को श्री महेश कुमार कानि0 ने ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था उक्त मोबाईल वार्ता में श्री अमरदीप लाईनमैंन ने मुझे हमारा बिल उसको वाटसअप करने के लिये कहा था तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द करके श्री महेश कुमार कानि0 ने अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मैंने उक्त समस्त तथ्य श्री महेश कुमार कानि0 को बता दिया था और साथ ही श्री महेश कुमार कानि0 को यह भी बताया था कि मैं सरकारी स्कूल के पास जिस व्यक्ति के साथ खडा होकर बातचीत कर रहा था, वही व्यक्ति श्री अमरदीप लाईनमैंन, बिजली विभाग सोडावास है तथा श्री महेश कुमार कानि0 को मैंने यह भी बताया था कि मेरे पास आरोपी लाईनमैंन को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है और उसको गॉव ही रूककर रिश्वत राशि की व्यवस्था करनी है। इसलिये आज मैं अलवर नही चल सकता है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु मैं रिश्वत राशि 25 हजार रू0 की एवं बिल की राशि 6500 रू0 की व्यवस्था होने पर दिनांक 28.09.2022 को सुबह करीब 11 बजे तक ब्यूरों कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जाउंगा। इसके बाद दिनांक 27.09.2022 को श्री मुहेश कुमार कानि0 रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने साथ लेकर मेरे गॉव सक्तपुरा बावद से अलवर के लिये रवाना हो गया था और मैं घर पर ही रूक गया था। आज मैं संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 25000 रू0 एवं बिल की राशि 6500 रू0 अपने साथ लेकर आया हूॅ। उक्त परिवादी एवं कार्यालय मे पूर्व से उपस्थित आये दोनो गवाहान को तलब कर उनका आपसी परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री भीम सिंह यादव द्वारा दिनांक 27.09.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री भीम सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने - अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री भीम सिंह एव उक्त दोनो गवाहान की उपरिथति मे परिवादी श्री भीम सिंह तथा संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप, लाईनमैंन बिजली विभाग, सोडावास, जिला अलवर के मध्य दिनांक 27.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री भीम सिंह यादव द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक तृतीय, की आवाज मे वार्तालाप होने की पहचान की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली नई सी.डी. मे डाऊन लोड करवाकर सी.डी. तैयार करवाई गई। जिनमे से दो सी.डी. मार्क ''ए–1'' व मार्क ''ए–2'' को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क ''ए–3'' को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2 को जमा मालखाना करवाया गया।

तत्पश्चात समय 12.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक प्रेम चन्द ने परिवादी श्री भीम सिंह यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव, जाति अहीर, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम सक्तपुरा बावद, पुलिस थाना शाहजहाँपुर, जिला अलवर को बतौर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा तो उक्त परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 15 नोट एवं 500–500 रूपये के तीन नोट कुल राशि 31,500 रूपये निकाल कर पेश करते हुए बताया कि आरोपी ने कल दिनांक 27.9.2022 को रिश्वत राशि की माँग के सत्यापन के दौरान 6,500 रूपये तो विद्युत बिल के एवं 25,000 रूपये अपनी रिश्वत के लेकर आने हेतु कहा था। जिसके क्रम मे मै 31,500 रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। जिसमे से 6,500 रूपये तो उसे मेरे विद्युत बिल के जमा करवाने हेतु दूंगा तथा 25,000 रूपये आरोपी को रिश्वत के रूप मे दूंगा। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये 2000 – 2000 रूपये के 3 नोट एवं 500 रूपये के एक नोट कुल राशि 6,500 रूपये जो विद्युत बिल के जमा करवाने हेतु आरोपी को देने है, का विवरण तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये 2000–2000 रूपये के 12 नोट एवं 500 रूपये के दो नोट कुल राशि 25,000 रूपये जो आरोपी को बतौर रिश्वत देने है, का अलग–अलग विवरण फर्द मे अंकित कर रिश्वती राशि के उक्त नोटो पर श्री रामसिंह कानि. 549 से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी मंगवाकर नोटो के दोनो और फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री भीमसिंह यादव के शरीर पर पहने हुए कपडो की स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष शर्मा से जामा तलाशी लिवाई जाकर उनके पास उनके मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु / राशि या दस्तावेजात नही छोडते हुए उपरोक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे सभी नोटो को श्री रामसिंह कानि. 549 से परिवादी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब मे सुरक्षित रखवाये जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी एवं गवाहान को रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल / कॉल कर यथा संभव रिश्वत राशि देने का ईशारा करने की समझाईश की गई। परिवादी को अपने विद्युत बिल की राशि 6500 रूपये विद्युत बिल पेटे विभाग मे जमा करवाने हेतु अलग से आरोपी को दिये जाने वाले 2000–2000 रूपये के तीन नोट एवं 500 रूपये का एक नोट गवाह श्री सुभाष शर्मा से बिना पाऊडर लगाये ही परिवादी श्री भीम सिंह की शर्ट की ऊपरी जेब मे रखवाया जाकर आवश्यक हिदायत दी गई। परिवादी एवं गवाहान के समक्ष सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉफ्थलीन पाऊडर की रासायनिक प्रक्रिया प्रदर्शित कर उसके उपयोगिता एवं महत्त्व के बारे मे समझाईश की गई। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह से धुलवाये गये। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 27.9.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री भीमसिंह को सुपुर्द किया गया। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट इत्यादि तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 28.09.2022 को समय 01.30 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री सुभाष शर्मा, कनिष्ठ सहायक एवं श्री मानव कुमार, कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री भीम सिंह व ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, हरीश चन्द कानि0 503, रामजीत कानि0 209, सुनिता महिला कानि0 201 एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन एवं एक सरकारी वाहन टवेरा में बैठाकर मय चालक श्री महेश कुमार के हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब सक्तपुरा बावद/शाहजहाँपुर, जिला अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्री रामसिंह कानि0 549 को मुनासिब हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय में ही छोडा गया। समय 3.25 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के गॉव सक्तपुरा बावद पहुचा। जहा पर संदिग्ध आरोपी के मिलने की लोकेशन जानने के लिये परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप लाईनमैंन के मोबाईल पर कॉल करवाई तो आरोपी ने उसकी कॉल रिसिव नही की। तत्पश्चात समय 03.28 पी0एम0 पर संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप लाईनमैंन के मोबाईल नं0 6377165897 से परिवादी के मोबाईल नं0 6350600337 पर फोन

आया, जिसको रिसीव करने से पहले परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर परिवादी की संदिग्ध आरोपी से वार्ता करवाई एवं उक्त के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी के पास मौजूद ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया। उक्त मोबाईल वार्ता में परिवादी ने संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप को शाहजहापुर बस स्टेण्ड पर मिलने के लिये कहना एवं संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी को घर से चलने से पहले फोन करने के लिये कहा गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के हमराह लाये वाहनों से एवं परिवादी श्री भीम सिंह यादव व श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की कार में बैठाकर हमराह लेकर सक्तपुरा बावद से बस स्टेण्ड शाहॅजहापुर के लिये रवाना होकर समय 4.00 पी.एम. पर शाहजहाँपुर बस स्टेण्ड के पास पहुंच कर समय 04.04 पी0एम0 पर परिवादी श्री भीम सिंह की संदिग्ध आरोपी से मिलने के स्थान की जानकारी के लिये परिवादी से उसके मोबाईल नं. 6350600337 से संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप के मोबाईल नं. 6377165897 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर वार्तालाप करवाई तो परिवादी ने बस स्टेण्ड शाहजहापुर पर मिलने हेतु कहा जिस पर आरोपी ने परिवादी को वही पर रूककर इन्तजार करने के लिये कहा। उक्त मोबाईल वार्तालाप को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के पास मौजूद विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे श्री महेश कुमार कानि0 से रिकॉर्ड करवाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री महेश कुमार कानि. ने राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालु करके परिवादी श्री भीम सिंह यादव को सुपुर्द कर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से मिलने के लिये पास ही स्थित बस स्टेण्ड शाहजहापुर के लिये उसकी कार से रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी पर निगरानी रखते हुए उसके पीछे पीछे रवाना हुआ। परिवादी भीम सिंह यादव शाहजहापुर बस स्टेण्ड पर स्थित खाना खजाना होटल के सामने पहुंच कर संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप, लाईनमैंन के आने की इन्तजार मे खडा हुआ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक वाहनो को रोड के साईड मे खडा करवाया तथा ट्रेप पार्टी सदस्यो सहित परिवादी पर निगरानी रखते हुए खाना खजाना होटल के आस पास मौका अनुसार अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 04.25 पी0एम0 पर परिवादी के पास खाना खजाना होटल के सामने स्विफ्ट गाडी नं0 आर0जे0 02 सीएफ 3748 से संदिग्ध आरोपी श्री अमरदीप आकर रूका और वह अपनी कार में ड्राईवर सीट पर ही बैठा रहा, जिसके पास आकर परिवादी वार्ता करने लग गया तथा लाईनमैंन अमरदीप ने परिवादी को अपनी गाडी के अन्दर बैठा लिया और आपस में वार्तालाप करने लग गये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के उक्त गाडी पर नजर रखते हुए उसके आसपास खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे की इन्तजार मे मुकीम रहा।

दिनांक 28.09.2022 को समय 4.30 पी.एम. पर परिवादी श्री भीम सिंह यादव पुत्र श्री मोहर सिंह यादव, जाति अहीर, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम सक्तपुरा बावद, पुलिस थाना शाहजहाँपुर, जिला अलवर ने खाना–खजाना रेस्टोरेन्ट के सामने बस स्टेण्ड शाहजहांपुर, जिला अलवर पर खडी एक शिफ्ट कार नं. RJ02 CF 3748 से बाहर निकल कर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। जिसको मन् पुलिस निरीक्षक एवं उक्त दोनो गवाहान ने देखा। परिवादी का निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो मौतविरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास पहुँचा। जहाँ पर परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तब परिवादी श्री भीमसिंह ने उपरोक्त दोनो गवाहान के सामने उक्त कार मे बैठे हुए नवयुवक जो अपनी आंखो पर नम्बरो का चश्मा पहने हुए गोल गले की टी–शर्ट पहने हुए की ओर ईशारा करके बताया कि यही अमरदीप लाईनमैन है, जिसने अपनी उक्त कार मे बैठे हुए ही मेरे से अपने स्वंय के लिये मांगी गई 25,000 रूपये की रिश्वत राशि एवं जारी विद्युत बिल को जमा करवाने हेतु उक्त रिश्वत राशि के अलावा 6,500 रूपये मांगकर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करके अपनी उक्त कार के गियर के पास बने कप–होल्डर के अन्दर रखी है, जो अभी वही पर रखी हुई है। इस पर उक्त शिफ्ट कार के चारो ओर ब्यूरो स्टाफ को मामुर कर उसमे बैठे नवयुवक को अपना,दोनो गवाहन एवं ब्यूरो स्टाफ का परिचय देकर उससे अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो नवयुवक ने अपनी नजरे झुका ली और कुछ नही बोला। इस पर उक्त नवयुवक को तस्सली देकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री अमर दीप पुत्र श्री शमशेर सिंह, जाति अहीर, उम्र 26 साल, निवासी– खौरी, भुनगडा अहीर, तहसील मुण्डावर, पुलिस थाना शाहजहाँपुर, जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक–तृतीय, फीडर सक्तपुरा, **GSS** माणका, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला–अलवर होना बताया। इस पर उक्त अमरदीप को परिवादी से दिनांक 27.09.2022 को मांगी गई एवं अभी ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मैने अभी श्री भीम सिंह से उसका माह सितम्बर 2022 मे जारी 13,000 रूपये के विद्युत बिल की आधी राशि विद्युत विभाग मे जमा करवाने हेतु 6,500 रूपये एवं 25,000 रूपये उसके नया विद्युत कनेक्शन लगवाने के लिये है।जो मैने अपनी उक्त कार के गियर के पास बने कप–होल्डर मे भीमसिंह से अपने दाहिने हाथ से प्राप्त करके रखे है। इस पर परिवादी श्री भीम सिंह से पूछा तो उसने बताया कि साहब इस अमरदीप ने मेरे घर पर मेरे पिताजी के नाम से लगे घरेलु कनेक्शन को

अपने स्तर से मेरे मुर्गी फार्म पर शिफ्ट करने के कारण उक्त विद्युत कनेक्शन की विद्युत विभाग के अधिकारियों से माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वी.सी.आर. नही भरवाने की एवज मे एवं उक्त विद्युत कनेक्शन का माह सितम्बर 2022 मे जारी किये गये बिल को सही करवाने व मेरे नाम से नये कनेक्शन को अविलम्ब चालु करवाने की एवज मे अपने स्वंय के लिये कल दिनांक 27.9.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 25,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। एवं उक्त रिश्वत राशि के अतिरिक्त विद्युत बिल के 6500 रूपये विद्युत विभाग मे जमा करवाने हेतु अलग से देने के लिये कहा था। जिस के क्रम मे ही इस अमरदीप ने अभी अपनी उक्त कार के अन्दर बैठे हुए मेरे से अपने स्वंय के लिये 25,000 रूपये की रिश्वत राशि एवं 6500 रूपये की राशि विद्युत बिल के मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण करके अपने हाथ से ही अपनी उक्त कार के अन्दर गियर के पास बने कप–होल्डर मे रखी है। उक्त कार का गवाह श्री मानव कुमार से निरीक्षण करवाया गया तो उसने उक्त कार मे गियर के पास बने कप–होल्डर मे 2000–2000 रूपये के नोटो मे सिमटी हुई कुछ राशि होना बताई। जिसे गवाह श्री मानव कुमार से उठवाकर गिनवाया गया तो उसने एक नोटो की गड्डी मे 2000 – 2000 रूपये के तीन नोट एवं 500 रूपये का एक नोट एवं दूसरी गड्डी मे 2000–2000 रूपये के 12 नोट एवं 500–500 रूपये के दो नोट होना बताया जिनको उक्त गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया।

मौका आम रास्ता व बसस्टैण्ड है, जो भीड–भाड का स्थल है तथा अग्रिम कार्यवाही करने के लिए कोई उपयुक्त स्थल मौके पर उपलब्ध नही होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु अमरदीप लाईनमैन को कार से बाहर निकाल कर आरोपी श्री अमरदीप के दाहिने हाथ को कलाई के ऊपर से श्री महेश कुमार कानि. 462 से तथा बांये हाथ को कलाई के ऊपर से श्री रामजीत कानि. 214 से पकडावाकर उसे यथा स्थिति में हाथ पकडाये हुये ही आरोपी के उक्त गाडी की पीछे की सीट पर बैठाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त कार मे गवाह श्री मानव कुमार को आगे की सीट पर बैठाकर उक्त कार को चलाकर तथा परिवादी व अन्य ब्यूरो स्टाफ को हमराह लेकर आये वाहनो मे बैठाकर अपने हमराह लेकर मौके से समय 4.40 पी.एम. पर रवाना होकर समय 5.00 पी.एम. पर पुलिस थाना शाहजहांपुर पर पहूँचा। जहाँ थानाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अमरदीप लाईनमैन को उक्तानुसार ही हाथ पकडाये हुये ही एक कुर्सी पर बैठाया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी को भी उक्त कक्ष में बैठाया गया तथा उक्त कार को लॉक करके चाबी अपने कब्जे ली गई। कार्यवाही शुरू की जाती है। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने पुलिस थाने मे रखे हुये पानी के कैम्पर से एक बोतल में पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ कॉच के गिलास निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री अमरदीप के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री अमरदीप के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ कॉच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अमरदीप की उक्त कार के गियर के पास बने कप–होल्डर मे रखी हुई राशि को गवाह श्री मानव कुमार से घटना स्थल पर उठवाया गया था, को गिनकर एवं उक्त दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। बरामद शुदा गवाह श्री मानव कुमार द्वारा पेश किये गये नोटो का विवरण फर्द बरामदगी में अंकित करवाया जाकर उक्त बरामद शुदा रिश्वती राशि के नम्बरी 25,000 रूपये के नोटो को एक कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटो के लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया तथा बरामदशुदा नोटो की एक गड्डी जिसमे 2000 – 2000 रूपये के 3 नोट एवं 500 रूपये का एक नोट कुल राशि 6,500 रूपये जो विद्युत बिल के जमा करवाने हेतु आरोपी ने परिवादी से प्राप्त किये है। वह राशि परिवादी द्वारा अपनी विद्युत बिल के पेटे विद्युत विभाग मे जमा करवाया जाना वांछित होने से उक्त 6500 रूपये परिवादी श्री भीम सिंह को रूबरू मौतबिरान वापस लौटाये गये। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ कॉच के गिलास निकालकर उसे साफ पानी से पुनः धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। आरोपी श्री अमरदीप की शिफ्ट कार का लॉक अपने पास रखी हुई चाबी से रूबरू मौतबिरान, परिवादी एवं आरोपी श्री अमरदीप के खोला गया तथा ट्रेप बॉक्स से साफ रूई का फौवा लेकर उसे उक्त घोल के गिलास मे डूबोकर हाजरीन को

दिखाया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर उक्त रूई के फौवे को उक्त शिफ्ट कार के गियर बॉक्स के पास बने कप–होल्डर मे जहाँ पर रिश्वत राशि रखी हुई बरामद हुई थी, उस स्थान पर अच्छी तरह से फिराकर उक्त रूई के फौवे को गिलास के घोल मे डूबोकर उसका धोवन लिया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिससे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क C-1,C-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त रूई के फोआ जिससे कार के कप होलडर का धौवन लिया गया था को सुखाकर सफेद कपडे की थैली में रखकर उक्त थैली को सील मोहर कर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क F अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अमरदीप से परिवादी के कार्य के बारे मे पूछा गया तो उसने बताया कि इसने अपने घरेलु विद्युत कनेक्शन लेने हेतु माह जनवरी–फरवरी 2022 मे पत्रावली लगाई थी उसका डिमाण्ड नोटिस इसके द्वारा जमा करा दिया गया है। उक्त पत्रावली सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास मे जमा है। मेरे पास इससे संबंधित कोई कागजात नही है। परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई । परिवादी एवं आरोपी श्री अमरदीप को अलग–अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होने बाबत बताया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 08.15 पी.एम. पर आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक –तृतीय, फीडर सक्तपुरा, GSS माणका, कार्यालय सहायक अभियन्ता(पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला–अलवर द्वारा परिवादी भीम सिंह के पिताजी के नाम के निवास पर लगे घरेलु कनेक्शन को आरोपी द्वारा अपने स्तर से परिवादी के मुर्गी फार्म पर शिफ्ट करने के कारण उक्त विद्युत कनेक्शन की विद्युत विभाग के अधिकारियों से माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वी.सी.आर. नही भरवाने की एवज मे एवं परिवादी के उक्त कनेक्शन के माह अगस्त 2022 के विद्युत उपभोग का माह सितम्बर मे गलत जारी किये गये बिल को सही करवाने व परिवादी के नाम से नये कनेक्शन को अविलम्ब चालु करवाने की एवज मे अपने स्वंय के लिये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 27.9.2022 को 25,000 रूपये की रिश्वत की माँग करना एवं उक्त रिश्वत राशि के अतिरिक्त विद्युत बिल के 6500 रूपये विद्युत विभाग मे जमा करवाने हेतु अलग से देने के लिये परिवादी को कहना तथा अपनी उक्त रिश्वत मांग के क्रम में दिनांक 28.09.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी श्री भीम सिंह यादव से अपने स्वंय के लिये 25,000 रूपये की रिश्वत राशि एवं 6500 रूपये की राशि परिवादी का विद्युत बिल जमा करवाने के लिये मांग कर प्राप्त करने पर आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक–तृतीय, फीडर सक्तपुरा, GSS माणका, कार्यालय सहायक अभियन्ता(पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला–अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 के तहत कारित होना पाया जाने से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा उक्त ट्रेप कार्यवाही मे उपयोग ली गई उसकी शिफ्ट कार नं. RJ02 CF 3748 को जब्त किया गया। तत्पश्चात बाद मौके की ट्रेप कार्यवाही समय 09.30 पी0एम0 मन पुलिस निरीक्षक मय मय श्री किशोर सिंह पु0नि0 मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय परिवादी, एसीबी जाब्ता मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप कार्यवाही के दौरान जब्त/सील्ड शुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के मय गिरफ्तार शुदा मुल्जिम श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक तृतीय के एक प्राईवेट वाहन व एक सरकारी वाहन के साथ ही प्रकरण में जब्तशुदा आरोपी की गाडी के पुलिस थाना शाहजहापुर, जिला भिवाडी (अलवर) से घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर गिरफ्तारशुदा आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर उसे रात्रि सुरक्षार्थ हवालात में बन्द करने हेतु पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर को सुपुर्द कर समय 11.55 पी0एम0 पर एसीबी कार्यालय, अलवर प्रथम, अलवर पर पहूँचा। ट्रेप बॉक्स एवं जब्तशुदा रिश्वती राशि/आर्टिकल्स को कार्यालय में रखवाया जाकर तथा जब्तशुदा आरोपी की कार को कार्यालय परिसर में सुरक्षित खडा करवाई गई।

दिनांक 29.09.2022 को समय 06.00 ए0एम0 पर दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में परिवादी श्री भीम सिंह यादव एवं आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक तृतीय, के मध्य हुई मोबाईल वार्ताओं एवं रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू रिकार्डशुदा वार्ताओं की प्रक्रियानुसार रिकार्डशुदा वार्तालाप की प्रक्रियानुसार फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ मे परिवादी श्री भीम सिंह यादव द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक तृतीय, की आवाज मे वार्तालाप होने की पहचान की गई। उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप को तीन खाली नई सी.डी. मे डाऊन लोड करवाकर सी.डी. तैयार करवाई गई। जिनमे से दो सी.डी. मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपडे की थैलीयों पर भी

मार्क अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 27.09.2022 को परिवादी व आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक तृतीय, फीडर सक्तपुरा बावद के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं तथा फोल्डर नं0 2 में दिनांक 28.09.2022 को परिवादी व आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक तृतीय, फीडर सक्तपुरा बावद के मध्य रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ताऐं एवं रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही मे उपयोग ली गई ब्राशसील का नमूना फर्द पर अंकित किया जाकर उक्त ब्राश सील को रूबरू मौतबिरान तुडवाकर नष्ट किया गया। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राशसील नं. 38, पृथक से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धित के बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। जब्तशुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाई गई तथा आरोपी श्री अमरदीप की जब्तशुदा कार को सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर में खडी करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर के नाम पत्र जारी कर पत्र श्री हरीश चन्द कानि0 503 को प्रदत्त कर उक्त कार को पृथक से पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर पर जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करने हेतु हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय 11.00 ए0एम0 पर परिवादी श्री भीम सिंह यादव एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नही होने पर उन्हे ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से आमदा स्टाफ सदस्य सर्वश्री रामजीत कानि0 209 एवं श्री महेश कुमार कानि0 चालक को भी मय वाहन सरकारी के जाय तैनाती रवाना किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक–तृतीय, फीडर सक्तपुरा बावद, जी0एस0एस0 माणका, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला–अलवर द्वारा परिवादी श्री भीम सिंह के पिताजी के नाम से उनके निवास पर लगे हुए घरेलु विधुत कनेक्शन को आरोपी अमरदीप तकनिकी सहायक द्वारा अपने स्तर से परिवादी के मुर्गी फार्म पर शिफ्ट कर दिया गया तथा उक्त विद्युत कनेक्शन की विद्युत विभाग के अधिकारियों से माह सितम्बर 2022 से मार्च 2023 तक किसी भी प्रकार से कोई अनावश्यक चैकिंग नही करवाकर वी.सी.आर. नही भरवाने की एवज मे एवं परिवादी के उक्त कनेक्शन के माह अगस्त 2022 के विद्युत उपभोग का माह सितम्बर 2022 मे विधुत विभाग द्वारा गलत जारी किये गये बिल को सही करवाने एवं परिवादी के नाम से उसके नये कनेक्शन को अविलम्ब चालु करवाने की एवज मे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 27.9.2022 को परिवादी श्री भीमसिंह से अपने स्वंय के लिये 25,000 रूपये रिश्वत की माँग करना तथा आरोपी अमरदीप तकनिकी सहायक द्वारा उक्तानुसार मांगी गई रिश्वत राशि के अतिरिक्त परिवादी के विद्युत बिल के 6500 रूपये विद्युत विभाग मे जमा करवाने के लिए अलग से देने के लिये परिवादी को कहना तथा अपनी उक्त रिश्वत मांग के क्रम में दिनांक 28.09.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अमरदीप तकनिकी सहायक द्वारा रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी श्री भीम सिंह यादव से अपने स्वंय के लिये 25,000 रूपये की रिश्वत राशि एवं 6500 रूपये की राशि परिवादी का विद्युत बिल जमा करवाने के लिये मांग कर प्राप्त करना पाया गया एवं रिश्वत राशि आरोपी श्री अमरदीप, तकनिकी सहायक–तृतीय, की कार से बरामद होने होने से आरोपी श्री अमरदीप तकनिकी सहायक–तृतीय,जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अमरदीप पुत्र श्री शमशेर सिंह, उम्र 26 साल, निवासी खौरी, भुनगडा अहीर, पुलिस थाना शाहजहाँपुर, जिला अलवर हाल तकनिकी सहायक – तृतीय, फीडर सक्तपुरा बावद, जी. एस.एस. माणका, कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम सोडावास, जिला अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अमरदीप पुत्र श्री शमशेर सिंह, तकनीकी सहायक-तृतीय, फीड़र सक्तपुरा, जी. एस.एस. माणका, कार्यालय सहायक अभियंता (पवस) जयपुर-डिस्कॉम, सोडावास, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 390/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

29.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3399-3404 दिनांक 29.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, जयपुर-डिस्कॉम, अलवर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0 नि0 ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

29.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर